बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

पत्रांक– 10 नि0 (कुक्कुट) 11/2025 –.......................   दिनांक– ..../2025

प्रेषक,

डॉ0 सुनील कुमार ठाकुर
संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत राज्य में अनुदानित दर पर लो–इनपुट प्रजाति के 28 दिवसीय चूजों के वितरण की योजना में आवेदन की तिथि का अवधि विस्तार के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंतर्गत समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत राज्य में अनुदानित दर पर लो–इनपुट प्रजाति के 28 दिवसीय चूजों के वितरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पशुपालन निदेशालय का पत्रांक 10 नि0 (कुक्कुट) 11/2025 –3057 (नि0), दिनांक–26.08.2025 के आलोक में कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया गया है।

उक्त कार्यान्वयन अनुदेश की कंडिका–3 (ix) में अंकित है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर संबंधित जिला के लिये निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्रखण्डवार चयनित लाभुकों की सूची तैयार की जायेगी। सूची तैयार करने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जायेगा की जिला के लिये निर्धारित लक्ष्य से न्यूनतम 10 प्रतिशत अधिक लाभुकों का चयन किया जाय। ताकि किन्हीं लाभुकों द्वारा चूजा लेने से इन्कार किये जाने पर अथवा किसी लाभुक का चयन रद्द होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अन्य लाभुकों को लाभान्वित किया जा सके।

निदेशानुसार आप सभी को निदेश है कि उक्त कंडिका को दृष्टिपथ में रखते हुये उन जिलों में जहाँ पर लक्ष्य के अनुरूप चयन नही हो पाया है वहाँ अपने स्तर से विषयांकित योजना का प्रचार–प्रसार करते हुये दिनांक– 20.12.2025 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदन प्राप्त कर चयन करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
ह0/–
संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)।

पत्रांक– 10 नि0 (कुक्कुट) 11/2025 –4104 (नि0)   दिनांक– 02/12/2025

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/12/25
संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)।